

बिहार सरकार
न्यायालय आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन),
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

आदेश

(ऑनलाईन न्यायालय दिव्यांगजन दरभंगा प्रमण्डल तथा अन्य जिला दि०-10.07.2020)

पत्रांक-सं०-08/रा०आ०नि०-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ०नि०को०

दिनांक-10 जुलाई 2020

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला अपर आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन),
दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर (दरभंगा प्रमण्डल) तथा
गया, कैमूर, लखीसराय, नालन्दा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार,
पटना, रोहतास, सहरसा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर एवं सुपौल।

विषय :-

कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक-10.07.2020 को दरभंगा प्रमण्डल में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाईन लोक अदालत के दौरान सुनवाई किए गए मामलों के विषय में कारवाई करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

- (1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- (2) इस कार्यालय का पत्र सं०-931/आ०नि०को० दिनांक-24.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके अन्तर्गत कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत कोशी प्रमण्डल के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए दिनांक-03.07.2020 को ऑनलाईन लोक अदालत आयोजित करने के विषय में सूचित किया गया था। इस संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्रांक-744 दिनांक-24.03.2020 जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा घोषित सहायता पैकेज का लाभ जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने तथा पत्रांक-748 दिनांक-07.04.2020 जो कोविड19 (COVID-19) के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश से सम्बन्धित है, का भी संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दरभंगा प्रमण्डल के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक-10.07.2020 को दिव्यांगजनों के लिए सम्पादित ऑनलाईन लोक अदालत के सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं :-

- (1) ऑनलाईन लोक अदालत में सुनवाई हेतु दिव्यांगजनों के जीवनयापन संरक्षण संबंधी उन्हीं मामलों को विशेष रूप से शामिल करने का निर्देश दिया गया था, जो कोविड19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने हेतु वर्तमान में घोषित लॉकडाउन की वजह से विशेषतया दिव्यांगजनों के समक्ष उत्पन्न हुई हैं।
- (2) ऑनलाईन अदालत की सुनवाई के दौरान तिरहुत प्रमण्डल के विविध जिलों के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
- (3) दिव्यांगजनों की अधिकांश शिकायतें राज्य सरकार की घोषणा अनुरूप उनके अग्रिम पेंशन भगतान, अतिरिक्त सहायता राशि भगतान, राशन व राशन कार्ड निर्गमन तथा लॉकडाउन के दौरान जीविकोपार्जन के साधन इत्यादित से सम्बन्धित प्राप्त हुई।
- (4) प्राप्त मामलों की संख्या एवं प्रकृति व सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कोविड19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न आपदा व घोषित लॉकडाउन की स्थिति में दिव्यांगजनों के सुरक्षा एवं संरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मगध प्रमण्डल के विविध जिलों के स्तर पर मिश्रित स्थितियाँ हैं।

- (5) जिलों में विविध विषयों में क्षेत्रीय कार्यालयों स्तर पर अभी भी काफी कुछ किया जाना अपेक्षित है।
 (6) जिले के सम्बन्ध में पंचायत, प्रखण्ड, अनुमण्डल व जिला स्तर पर दिव्यांगजनों की सूची दिव्यांगता प्रकृति व प्रतिशत सहित, जिससे कि विशेष सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजन चिन्हित किए जा सकें, का संधारण अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निदेशित किया गया है।

इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करना हमारा सामुहिक उत्तरदायित्व है। इस आलोक में आपके स्तर से निम्न कारवाई किये जाने का अनुरोध है :-

- (क) सुनवाई किये गये मामलों की जिलावार सूची संलग्न है, जिसमें शिकायतकर्ता का परिचय व सम्पर्क विवरण, दिव्यांगता प्रकृति व प्रतिशत, शिकायत व माँगी जा रही सुविधा इत्यादि विवरण अंकित है। अनुरोध है कि शिकायत के विषय से सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिव्यांग शिकायतकर्ताओं से सम्पर्क कर कोविड19 (COVID-19) के कारण उत्पन्न इस आपातकालीन स्थिति में उन्हें अपेक्षित सुविधा प्रदान कर उनकी शिकायत का निष्पादन पत्र प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिनों के भीतर करने हेतु निदेशित करने एवं इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।
- (ख) इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को प्रत्येक परिवाद को प्रदत्त परिवाद संख्या द्वारा प्रतिवेदित किया जाना है। अनुरोध है कि जिले से सम्बद्ध विविध परिवादों का समेकित प्रतिवेदन अपने स्तर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।
- (ग) लॉकडाउन के दौरान विविध माध्यमों यथा : ई-मेल, ऑनलाईन लॉगइन, व्हाट्सएप तथा डाक से प्राप्त शिकायतों को जिलावार सूचीबद्ध करते हुए अग्रेतर भी प्रेषित किया जायेगा। उन शिकायतों के निष्पादन हेतु भी बिन्दु (क) एवं (ख) में वर्णित प्रक्रियानुरूप कारवाई करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।
- (ग) विविध जिलों के सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को विशेषकर दिव्यांगजनों के सम्बन्ध में इस आपदा स्थिति व इससे निपटने हेतु किए गए उपायों एवं उनकी प्रभावोत्पादकता इत्यादि से सम्बन्धित एक स्टडी रिपोर्ट भी इस कार्यालय को आपके माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेरित करने की कृपा की जाय। ऐसी स्टडी रिपोर्ट भविष्य की विषम स्थितियों के लिए मार्गदर्शक नीतियाँ/कार्यक्रम तय करने में सहायता प्रदान करेंगी।
- (घ) इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों की सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु बेहतर कार्यान्वयन करने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस कार्यालय द्वारा प्रशंसित किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलों में समचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा कोविड19 (COVID-19) से उत्पन्न आपदा स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिनांक-26 मार्च 2020 को जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देशों एवं इस संदर्भ में मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को प्रेषित पत्र के अन्तर्गत इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों को उनकी शारीरिक, संवेदी और ज्ञान संबंधी सीमाओं के कारण प्रभावित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभाविता के आलोक में उनकी सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों को संकट की अवधि के दौरान दिव्यांगता के विशिष्ट मामलों को हल करने के लिए प्रभार सौंपा गया है।

तदनुसृत जिला विशेष के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित सूची में शामिल दिव्यांगजनों के शिकायतों के निश्चित समयावधि के भीतर निष्पादन नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित मामलों में इस न्यायालय के अन्तर्गत वाद गठित करते हुए न्यायालयीय प्रक्रिया के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

अपेक्षा है कि इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों के सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने के सामुहिक उत्तरदायित्व में आपका सहयोग प्राप्त होगा।

अनु0-यथोक्त।

अनुलग्नक-1 संलग्न।

विश्वासभाजन

10.02.20

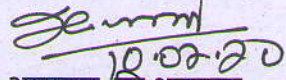
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

(3)

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

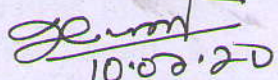
प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।


10.07.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

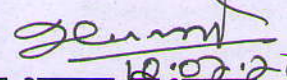
प्रतिलिपि:-दरभंगा प्रमण्डल के सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर (दरभंगा प्रमण्डल) तथा गया, कैमूर, लखीसराय, नालन्दा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पटना, रोहतास, सहरसा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर एवं सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिव्यांगजनों के अग्रिम पेंशन भुगतान, बकाया पेंशन भुगतान व सहायता राशि भुगतान से सम्बन्धित शिकायतों का त्वरित निष्पादन एवं अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर निष्पादित करने की कृपा की जाय।


10.07.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

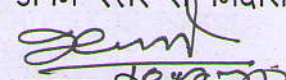
प्रतिलिपि:-दरभंगा प्रमण्डल के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर (दरभंगा प्रमण्डल) तथा गया, कैमूर, लखीसराय, नालन्दा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पटना, रोहतास, सहरसा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित दिशानिर्देश बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस आपदा स्थिति में दिव्यांगजनों की जीवनयापन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राशन व राशन उपलब्धता तथा राशन कार्ड निर्गमन से सम्बन्धित शिकायतों को निष्पादित करने की कृपा की जाय।


10.07.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

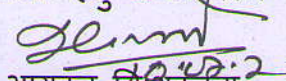
प्रतिलिपि:-निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।


10.07.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

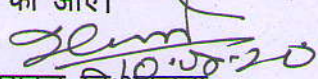
प्रतिलिपि:-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।


10.07.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

प्रतिलिपि:-कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम/सक्षम, डी0बी0टी0 सेल को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न सूची में शामिल दिव्यांगता पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों (अग्रिम पेंशन भुगतान, बकाया पेंशन भुगतान, सहायता राशि भुगतान) के त्वरित निष्पादन करने की कृपा की जाए।

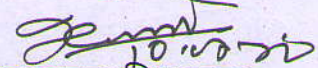

10.07.20
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

(4)

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

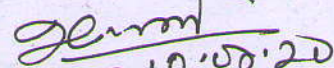
प्रतिलिपि:-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

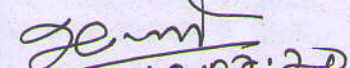
प्रतिलिपि:-सभी सम्बन्धित शिकायतकर्ता दिव्यांगजनों को यथोचित माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित। अपने जिले के सम्बन्धित क्षेत्रीय पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर अपने शिकायतों के समाधान के लिए अग्रेतर कारवाई हेतु निदेशित।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

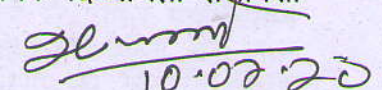
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0-परिवाद(कोविड19)-01/2020-1018/आ0नि0को0

दिनांक-10 जुलाई 2020

प्रतिलिपि:-मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोविड19 के विषय में जारी व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।


राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।